प्रा०सं०-156-1
25.6.07

पत्रांक–3/एम0–73/2007–का0– 1821

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिलाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक– 23-5-07

विषयः– रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जानेवाले मामलों में पदाधिकारी/कर्मचारी के कारागार से छूटने पर पदस्थापन के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जानेवाले मामलों में हिरासत में लिए गए पदाधिकारी/कर्मचारी के कारागार से जमानत पर छूटने के पश्चात् बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 (3) के अन्तर्गत योगदान स्वीकार किया जाना है । यह भी प्रावधान है कि योगदान कराने के पश्चात् उन्हें पुनः निलंबित किया जा सकता है । इस संदर्भ में इस विभाग के पत्रांक 773 दिनांक 27.03.2006 के तहत समुचित मार्गदर्शन परिचारित किया जा चुका है ।

2. कुछ मामलों में ऐसा पाया गया है कि जिस पदाधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसे कारागार से रिहा होने के पश्चात् योगदान करने पर पुनः उसी पद पर पदासीन रहने दिया जाता है, जिससे सबूतों से छेड़–छाड़ तथा अनुसंधान को प्रभावित करने की संभावना बनी रहती है ।

3. इस विषय पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गये पदाधिकारी/कर्मचारी को कारागार से छूटने के पश्चात् योगदान देने पर धारित पद, जिस पर रहते हुए वे रिश्वत लेते पकड़े गये हों, से तुरत स्थानान्तरित कर दिया जाय ।

कृपया उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 23-5-07

(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव